९८

IS 15700:2005

सर्वोत्तम प्रमाणित

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम

नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

उ0प्र आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत

**स्वीकृति–पत्र**

संख्याः /नि0प्रा0–17/2013–2014/वा0नि0–1 दिनांकः 2015

सेवा में,

श्री मनोज कुमार यादव द्वारा
जीवेश अरोड़ा S/0 देवेन्द्र कुमार अरोड़ा
मुख्तार–ए–आम,
1776/2 खण्ड–2, बेरीबाग,
सहारनपुर–247001

**विषयः प्रीमियम हाउस भूखण्ड सं0 3ए/147 शाकुम्भरी विहार (योजना सं0–8 मवीकला) सहारनपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रीमियम हाउस भूखण्ड सं0 3ए/147 शाकुम्भरी विहार (योजना सं0–8 मवीकलां), सहारनपुर में निर्माण करने संबंधी आवेदन के कम में प्राप्त मानचित्रों/प्रपत्रों के परीक्षणोपरान्त एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती हैः

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पांच वर्ष की होगी, दिनांक 24/7/15 से 23/7/2020 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र में लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–32 उ0प्र0 आवास विकास परिषद, सहारनपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व संबंधित सम्पत्ति प्रबंधक अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति 443.18 व0मी निर्माण क्षेत्रफल के लिये 300 व0मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
7. यह स्वीकृति नियमानुसार भूतल पर व्यवसायिक तथा प्रथम तल,द्वितीय तल पर आवासीय उपयोगार्थ तथा ममटी के निर्माण हेतु प्रदान की गयी है।
8. भूखंड में अनुमन्य आवंटी तथा केतागण अपने वाहन को भूखंड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडो का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखंड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि प्रश्नगत भवन में हो रहे कियाकलाप से क्षेत्र के निवासियो को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस कियाकलाप को रोकने/हटाने हेत परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।

11. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण व रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।

12. समय समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देश मान्य होंगे।

13. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

14. कार्यस्थल पर स्वीकृत मानचित्र की सत्यापित प्रति निरीक्षण हेतु अवश्य रखी जाय तथा परिषद के अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाये।

15. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।

16. भविष्य में अतिरिक्त शुल्क लेकर भूतल पर ही व्यवसायिक गतिविधियां निम्न प्रतिबंधों के साथ एवं तत्समय लागू नियमों के अनुसार अनुमन्य की जा सकती है।

(क) भूखण्डों में सब डिवीजन/विक्रय अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) भविष्य में भूतल पर व्यवसायिक गतिविधियां स्वयं के अतिरिक्त दशा में अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी आवश्यक होंगी।

(ग) भविष्य में लिया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क परिवर्तन हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति के तत्समय व्यवसायिक तथा तत्समय के प्रीमियम आवासीय के भूमि मूल्य के अंतर के बराबर होगा व साथ ही भूतल पर व्यवसायिक उपभोग होने की दशा में स्टाम्प शुल्क भी देय अनिवार्य होगा।

**संलग्नक–** उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र (  नग शीट्स)

24/7/15

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

**संख्या–** 1860 /उपरोक्त/ दिनांक 24/7/15

**प्रतिलिपि–** 1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–32, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सहारनपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र का एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबंधक, आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर को सूचनार्थ।

24/7/15

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

24/7/15

Scanned by CamScanner